

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय

लोक सभा  
07.08.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2747 का उत्तर

देश में ट्रेन का पटरी से उतरना और दुर्घटनाएं

2747. श्री सुधीर गुप्ता:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और उत्तर प्रदेश में गोंडा रेलगाड़ी सहित अनेक रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने और दुर्घटनाएं हुई हैं;
- (ख) यदि हां, तो इन दुर्घटनाओं में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है और पीड़ितों के परिवारों को दुर्घटना-वार कुल कितनी मुआवजा राशि का भुगतान किया गया;
- (ग) क्या इन दुर्घटनाओं की कोई जांच की गई है/आदेश दिए गए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;
- (घ) क्या सरकार ने हाल ही में हुई त्रासद दुर्घटना के मद्देनजर भविष्य में रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने और दुर्घटनाओं को रोकने और रेल नेटवर्क के भीतर सुरक्षा उपायों में सुधार करने के लिए कोई व्यापक कार्य योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) भविष्य में रेल दुर्घटनाओं को रोकने और रेल यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।


\*\*\*\*\*

देश में ट्रेन के पटरी से उतरने और दुर्घटनाओं के संबंध में दिनांक 07.08.2024 को लोक सभा में श्री सुधीर गुप्ता, श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे और श्री टी. एम. सेल्वागणपति के अतारांकित प्रश्न सं. 2747 के भाग (क) से (ड) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): पिछले कुछ वर्षों में किए गए विभिन्न संरक्षा उपायों के परिणामस्वरूप, गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं सहित परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं जो 2000-01 में 473 से घटकर 2023-24 में 40 हो गई हैं, नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है। 2023-24 के आंकड़ों में जून 2023 में घटित कोरोमंडल एक्सप्रेस गाड़ी दुर्घटना शामिल है।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि 2004-14 की अवधि के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं 1711 (औसत 171 प्रतिवर्ष) थी, जो वर्ष 2014-24 की अवधि के दौरान घटकर 678 (औसत 68 प्रतिवर्ष) हो गई है।

गाड़ी परिचालन में बेहतर संरक्षा दर्शाने वाला अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक दुर्घटना प्रति मिलियन रेलगाड़ी किलोमीटर (एपीएमटीकेएम) है, जो 2000-01 में 0.65 से घटकर 2023-24 में 0.03 हो गया है, जो उक्त अवधि के दौरान 95% से अधिक का सुधार दर्शाता है।



भारतीय रेलों पर परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं एवं तत्संबंधी हताहतों की संख्या निम्नानुसार है :

अवधि	परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
2004-05 से 2013-14	1711	904	3155
2014-15 से 2023-24	678	748	2087

कंचनजंघा एक्सप्रेस गाड़ी दुर्घटना और चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गाड़ी दुर्घटना(गोंडा गाड़ी दुर्घटना) क्रमशः 17.06.2024 और 18.07.2024 को घटी थी, जिसमें 12 यात्रियों ने अपनी जान खोई और 57 को चोट लगी।

कोरोमंडल एक्सप्रेस गाड़ी दुर्घटना के मामले में, रेल संरक्षा आयुक्त ने यह कारण बताया है कि यह दुर्घटना विगत में सिगनल-परिपथ में किए गए परिवर्तन में खामियों और समपार फाटक के लिए इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर को बदलने से संबंधित सिगनल कार्य के निष्पादन के कारण हुई। कंचनजंघा एक्सप्रेस गाड़ी दुर्घटना और चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गाड़ी दुर्घटना (गोंडा गाड़ी दुर्घटना) के मामलों में रेल संरक्षा आयुक्त जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

रेल दावा अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार, कोरोमंडल एक्सप्रेस गाड़ी दुर्घटना में मृत्यु और घायल होने वालों के लिए मृतकों/पीड़ितों के आश्रितों संबंधियों को मुआवजे के रूप में 25.10 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। मृतक पीड़ितों और घायलों के निकटतम संबंधियों को पूर्ण रूप से मानवीय आधार पर बढ़ी हुई अनुग्रह राशि का भुगतान निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	दुर्घटना का ब्यौरा	बढ़ी हुई अनुग्रह राशि	
		मृत्यु	घायल
1	कोरोमंडल एक्सप्रेस	26.9 करोड़	5.79 करोड़
2	कंचनजंघा एक्सप्रेस	1.30 करोड़	40.50 करोड़
3	चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ गाड़ी (गोंडा गाड़ी)	30.50 लाख	24 लाख

(घ) एवं (ङ): भारतीय रेल में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। गाड़ी परिचालन को बेहतर करने के लिए किए गए विभिन्न संरक्षा उपाय निम्नानुसार हैं:

1. भारतीय रेल पर, पिछले कई वर्षों में संरक्षा से संबंधित कार्यों पर व्यय में वृद्धि हुई है जो निम्नानुसार है:

	संरक्षा पर व्यय		(करोड़ रु. में)
	2022-23 (वास्तविक)	2023-24 (वास्तविक)	बजट अनुमान 2024-25
रेलपथ का अनुरक्षण और निर्माण कार्य	18,115	20,322	21,386
रेलइंजनों और चल स्टॉक का अनुरक्षण	27,086	30,864	31,494
मशीनों का अनुरक्षण	9,828	10,772	11,864
सड़क संरक्षा समपार और आरओबी/आरयूबी	5,347	6,662	9,980
रेलपथ नवीकरण	16,326	17,850	17,652
पुल संबंधी कार्य	1,050	1,907	2,137
सिगनल एवं दूरसंचार संबंधी कार्य	2,456	3,751	4,647
उत्पादन इकाइयों सहित वर्कशॉप तथा संरक्षा पर विविध व्यय	7,128	9,534	9,634
<b>कुल</b>	<b>87,336</b>	<b>1,01,662</b>	<b>1,08,795</b>

2. मानवीय विफलता के कारण दुर्घटना रोकने के लिए 30.06.2024 तक 6,589 स्टेशनों पर कार्टों प्वाइंटों और सिगनलों के केंद्रीकृत परिचालन वाले इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की व्यवस्था की गई है।
3. समपार फाटकों पर संरक्षा बढ़ाने के लिए 30.06.2024 तक 11,048 समपार फाटकों पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है।
4. संरक्षा बढ़ाने के लिए 30.06.2024 तक 6,609 स्टेशनों पर विद्युत साधनों द्वारा रेलपथ अधिभोग के सत्यापन के लिए स्टेशनों की पूर्ण रेलपथ परिपथन की व्यवस्था की गई है।
5. कवच अत्यधिक प्रौद्योगिकी प्रधान प्रणाली है, जिसके लिए उच्चतम स्तर के संरक्षा प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। कवच को जुलाई, 2020 में राष्ट्रीय स्वचालित

रेलगाड़ी रक्षण प्रणाली के तौर पर अपनाया गया। अब तक कवच को दक्षिण मध्य रेल के 1465 मार्ग किलोमीटर पर और 144 रेलइंजनों (इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट रेकों सहित) में लगाया जा चुका है। कवच प्रणाली की व्यवस्था उत्तरोत्तर रूप से चरणबद्ध तरीके से की जाती है।

6. अगली गाड़ी को लेने के लिए लाइन क्लियर देने से पहले और मानवीय हस्तक्षेप के बिना गाड़ी का आगमन सुनिश्चित करने और मानव तत्व को कम करने हेतु ब्लॉक खंड के स्वचालित निकासी के लिए एक्सल काउंटर, बीपीएसी (ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर) प्रदान किए जाते हैं। 30.06.2024 तक ये प्रणालियां 6079 ब्लॉक खंडों पर उपलब्ध कराई गई हैं।
7. भारतीय रेल पर 34,803 लंबे मार्ग किमी. के लिए लॉग टर्म इवोल्यूशन (एलटीई) आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली के प्रावधान के लिए परियोजना अनुमोदित की गई है।
8. विभिन्न क्षेत्रीय रेलों में टनल कम्यूनिकेशन के प्रावधान की परियोजना शुरू की गई है।
9. वंदेभारत गाड़ियों में आकस्मिक टॉक बैक प्रणाली तथा आपातकालीन अलार्म प्रणाली की व्यवस्था की गई है।
10. सभी वंदेभारत एक्सप्रेस गाड़ियों के डिब्बों में सीसीटीवी लगाए गए हैं। अब तक 9572 से अधिक डिब्बे सीसीटीवी की सुविधा से सुसज्जित हैं।
11. सिगनल प्रणाली की संरक्षा से संबंधित मामलों जैसे अनिवार्य पत्राचार जांच, परिवर्तन कार्य संबंधी प्रोटोकॉल, पूर्ण हो चुके कार्यों के नक्शे तैयार करने आदि पर विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।
12. प्रोटोकॉल के अनुसार एसएंडटी उपस्करों के लिए डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन प्रणाली पर पुनः जोर दिया गया है।
13. लोको पायलटों की सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए सभी रेल इंजनों में सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी) लगाए गए हैं।

14. मास्ट पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड लगाए जाने की व्यवस्था है जो विद्युतीकृत क्षेत्रों में सिगनलों से दो ओएचई मास्ट पहले स्थित होता है ताकि कोहरे के मौसम के कारण दृश्यता कम होने पर क्रू को आगे के संकेत के बारे में चेतावनी मिल सके।
15. कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में लोको पायलटों के लिए जीपीएस आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस (एफएसडी) की व्यवस्था की जाती है जिससे लोको पायलट आने वाले लैंड मार्क जैसे सिगनल, रेल फाटकों आदि की दूरी का पता लगा सकते हैं।
16. प्राथमिक रेलपथ नवीकरण करते समय 60 किग्रा की आधुनिक रेलपथ संरचना, 90 अल्टीमेट टेन्सिल स्ट्रेंथ (यूटीएस) पटरी, प्रीस्ट्रेसड कंक्रीट स्लीपर (पीएससी) लोचदार बंधन वाले सामान्य/चौड़ी सतह के स्लीपर, पीएससी स्लीपरों पर फैनशेड लेआउट टर्नआउट, गर्डर पुलों पर स्टील चैनल/एच-बीम स्लीपरों का उपयोग किया जाता है।
17. मानव त्रुटियों को कम करने के लिए पीक्यूआरएस, टीआरटी, टी-28 आदि जैसी रेलपथ मशीनों के उपयोग के माध्यम से रेलपथ बिछाने की गतिविधियों का यांत्रिकीकरण।
18. संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलपथ नवीकरण की प्रगति बढ़ाने और ज्वाइंटों की वेल्डिंग से बचने के लिए 130 मीटर/260 मीटर लंबे पटरी पैनलों की आपूर्ति को अधिकतम करना।
19. पटरियों में दोष का पता लगाने और दोषपूर्ण पटरियों को समय पर हटाने के लिए पटरियों की अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन परीक्षण।
20. एल्यूमिनो थर्मिक वेल्डिंग के उपयोग को कम करने के लिए लंबी पटरियां बिछाना, और रेलपथों के लिए बेहतर वेल्डिंग तकनीकों अर्थात् फ्लैश बट वेल्डिंग अपनाना।
21. ओएमएस (दोलन निगरानी प्रणाली) और टीआरसी (रेलपथ रिकॉर्डिंग यानों) द्वारा रेलपथ भूमिति की निगरानी।
22. वेल्ड/पटरियों में टूट-फूट का पता लगाने के लिए रेलपथों पर पेट्रोलिंग करना है।
23. टर्नआउट नवीनीकरण कार्यों में थिक वेब स्विच और वेल्ड करने योग्य सीएमएस क्रॉसिंग का उपयोग।

24. सुरक्षित पद्धतियों के अनुपालन हेतु कर्मचारियों को निगरानी और शिक्षित करने के लिए नियमित अंतराल पर निरीक्षण।
25. युक्तिसंगत अनुरक्षण संबंधी आवश्यकता और इनपुट के इष्टतमीकरण से संबंधित निर्णय लेने के लिए ट्रेक डाटाबेस और निर्णय समर्थित प्रणाली जैसी रेलपथ परिसंपत्तियों की वेब आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली को अपनाया गया है।
26. रेलपथ की संरक्षा से संबंधित मामलों अर्थात् एकीकृत ब्लॉक, कॉरिडोर ब्लॉक, कार्यक्षेत्र पर संरक्षा, मानसून संबंधी सावधानियों आदि पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
27. गाड़ियों का सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रेल परिसंपत्तियों (सवारी डिब्बों एवं मालडिब्बों) का निवारक अनुरक्षण।
28. परम्परागत आईसीएफ डिजाइन रेल डिब्बों के स्थान पर एलएचबी डिजाइन के रेल डिब्बे लगाए जा रहे हैं।
29. जनवरी 2019 तक बड़ी लाइन (बीजी) मार्ग पर सभी मानवरहित समपारों (यूएमएलसी) को समाप्त कर दिया गया है।
30. पुलों का नियमित निरीक्षण करके रेल पुलों की संरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इन निरीक्षणों के दौरान स्थितियों के आकलन के आधार पर पुलों का मरम्मत/पुनर्स्थापन कार्य किया जाता है।
31. भारतीय रेल ने सभी सवारी डिब्बों में यात्रियों की व्यापक सूचना के लिए सांविधिक "आग संबंधी सूचनाएं" लगाई है। सभी डिब्बों में आग संबंधी पोस्टर लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को आग की रोकथाम के लिए अनेक 'क्या करें' और 'क्या न करें' के बारे में सूचित और सतर्क किया जा सके। इसमें सवारी डिब्बों के भीतर ज्वलनशील सामग्री, विस्फोटकों को साथ न ले जाने, धूमपान न करने, जुर्माना आदि से संबंधित सूचनाएं शामिल हैं।

32.उत्पादन इकाइयां नवनिर्मित पावर कारों और पैंट्री कारों में आग संसूचक एवं अवरोधन प्रणाली तथा नवनिर्मित सवारी डिब्बों में आग एवं धुआं संसूचक प्रणाली की व्यवस्था कर रही है। क्षेत्रीय रेलों द्वारा मौजूद सवारी डिब्बों में चरणबद्ध तरीकों से प्रोग्रेसिव फिट्मेन्ट का कार्य भी चालू है।

33.कर्मचारियों की नियमित काउन्सलिंग की जाती है और प्रशिक्षण दिया जाता है।

34.दिनांक 30.11.2023 की राजपत्र अधिसूचना के तहत भारतीय रेल (चालू लाइनें) साधारण नियम में रोलिंग ब्लॉक अवधारणा को शामिल किया गया है जिसमें परिसंपत्तियों के एकीकृत अनुरक्षण/मरम्मत/प्रतिस्थापन के कार्य को रोलिंग आधार पर 52 सप्ताह पहले से योजनाबद्ध किया जाता है और योजना के अनुसार निष्पादित किया जाता है।

रेलों द्वारा किए गए संरक्षा संबंधी कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार सारणीबद्ध है:-

क्र.सं.	मद	2004-05 से 2013-14	2014-15 से 2023-24	2004-14 की तुलना में 2014-24
	रेलपथ अनुरक्षण			
1.	रेलपथ नवीकरण पर व्यय (करोड़ रुपये में)	47,018	1,09,659	2.33 गुना
2.	रेल नवीकरण प्राथमिक (रेलपथ किमी.)	32,260	43,335	1.34 गुना
3.	उच्च-गुणवत्ता पटरियों (60 किग्रा.) (किमी.) का प्रयोग	57,450	1,23,717	2.15 गुना
4.	लंबे रेल पैनल (260मी.) (किमी.)	9,917	68,233	6.88 गुना
5.	पटरियों की यूएसएफडी (अल्ट्रा सोनिक फ्लॉ डिटेक्शन) जांच (रेलपथ कि.मी.)	20,19,630	26,52,291	1.31 गुना



6.	जोड़ों की यूएसएफडी (अल्ट्रा सोनिक फ्लॉ डिटेक्शन) जांच (अदद)	79,43,940	1,73,06,046	2.17 गुना
7.	नये जोड़े गये रेलपथ किमी (रेलपथ किमी.)	14,985	31,180	2.08 गुना
8.	वैल्ड विफलताएं (अदद)	2013-14 में: 3699	2023-24 में: 481	87% कमी
9.	पटरियों में दरारें (अदद)	2013-14 में: 2548	2023-24 में: 383	85% कमी
10	थिक वेब स्विच (अदद)	शून्य	21,127	
11	रेलपथ मशीन (अदद)	31.03.14 तक = 748	31.03.24 तक = 1,661	122% वृद्धि
समपार फाटकों को बंद करना				
1.	मानव रहित समपार फाटकों को बंद करना (अदद)	31.03.14 तक: 8948	31.03.24 तक: शून्य (31.01.1 9 तक सभी उन्मूलित)	100% कमी
2.	मानव युक्त समपार फाटकों को बंद करना (अदद)	1,137	7,075	6.21 गुना
3.	रोड ओवर ब्रिज (आरओबी)/ रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) (अदद)	4,148	11,945	2.88 गुना
4.	समपार समाप्त करने पर व्यय	5,726	36,699	6.40 गुना
पुल पुनर्स्थापन				
1.	पुल पुनर्स्थापन पर व्यय (करोड़ रुपये में)	3,919	8,008	2 गुना
सिगनल कार्य				
1.	इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (स्टेशन)	837	2,964	3.52 गुना
2.	स्वचालित ब्लॉक सिगनल (किमी.)	1,486	2,497	1.67 गुना

3.	फॉग पास संरक्षा उपकरण (अदद)	31.03.14 तक: 90	31.03.24 तक: 19,742	219 गुना
चल स्टॉक				
1.	एलएचबी डिब्बों का विनिर्माण (अदद)	2,337	36,933	15.80 गुना
2.	वातानुकूलित डिब्बों में अग्नि और धूमन संसूचक प्रणाली का प्रावधान (डिब्बों की संख्या)	0	19,271	
3.	पेंट्री और पावर कारों में अग्नि संसूचन एवं अग्निशमन प्रणाली का प्रावधान (डिब्बों की संख्या)	0	2,991	
4.	गैर-वातानुकूलित डिब्बों में अग्नि शामकों का प्रावधान (डिब्बों की संख्या)	0	66,840	
बजट आबंटन				
1.	रेलवे निवेश के लिए सकल बजटीय सहायता (करोड़ रुपए में)	1,56,739	8,25,967	5.3 गुना

\*\*\*\*\*